

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

सुनं 17/14

तारीख 27-3-14

उतवान - मानसिंह बनाम जयसिंह
दावा बाबत घोषणा खोतदारी

वादी की ओर से श्री राममरोशी गुप्ता सिविल ने दावा
बाबत घोषणा खोतदारी पेश किया गया। दस्तावेजों
वशापत्र का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज
रजिस्टर कर प्रतिवादी को सम्मन से तलब कर
पत्रावली दिनांक 3-3-14 को पेश हो।

499
10-3-14

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

3/14

वादी वकील उप. / प्रतिवादी स्वयं उप. / वास्तु साक्ष्य पत्र
करने सम्पन्न नारा / वास्तु साक्ष्य दिनांक 28-4-14 को पेश हो।

[Signature]

4/14

वकूलाय उपस्थित नही / पीठासन अधिकारी
है। मतानुसार दिनांक 28-5-14 को पेश हो।

5/14

वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादी उप. नहीं /
कई बार आवाज दिलवाई गई किन्तु कोई भी उपस्थित
नहीं हुआ है। इसलिए प्रतिवादी के निकट एक पक्षीय
कार्मवाही के आदेश दिये जाते हैं। वास्तु साक्ष्यवादी
दिनांक 2-7-14 को पेश हो।

7/14

वादी वकील उप. / साक्ष्य पत्र करने सम्पन्न नारा /
वास्तु साक्ष्यवादी दिनांक 5-8-14 को पेश हो।


न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

13⁴/₁₅ वादी वकील उपो। कहस सुनी गरी। कहस के दौरान उक्त का ओपे तर्घे के अटस्प दस्तवेज पेश कने के लिए समय-चाहा। वास्ते साक्ष्य दि० 14.5.15 को पेश हो।

14⁵/₁₅ वादी वकील उपो। 100 साक्ष्य अमल पर पचोए है। वास्तुसार दिनांक 25-6-15 को पेश हो।

30⁷/₁₅ जकरल पेशीस हुई। वादी वकील उपस्थित। वास्ते साक्ष्य दि० 6.8.15 को पेश हो।



पत्रावली पेश हुई। वादी वकील एवं वादी कोई भी उपस्थित नहीं। बार 2 आवाज डिलायी गयी उसके उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं। इसलिए अदम हाजरी अदम पैरवी में पत्रावली खारिज की जाती है। फेरसल शुभार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफतर हो।